उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-5
संख्या-02/2022/2014639/12-5002(099)/2/2021
लखनऊ:: दिनांक 25 जनवरी, 2022

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या-1/2022/1989406/12-5002(099)/2/2021, दिनांक 06 जनवरी, 2022 के साथ संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) में अंकित मानक मद 28-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के स्थान पर मानक मद 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान पढ़ा जाय।

2- शासनादेश दिनांक 06 जनवरी, 2022 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश दिनांक 06 जनवरी, 2022 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार(सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- सहायक निदेशक(कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमर चन्द्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in